

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०अनु०-13/2011

/कृ०, पटना, दिनांक

मई, 2015.

प्रेषक,

धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०सं०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

मेसर्स साइनोकेम इंडिया कम्पनी प्रा०लि०,
द्वारा-कृष्णा सीड्स, H/O डा० जरीन रहमान,
कृष्णा टावर, डा० कमाल अशरफ लेन,
एस०पी०वर्मा रोड, पटना-01

विषय :- कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या 38-39 दिनांक 23.02.2012 का नवीकरण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपसे प्राप्त आवेदन, कोषागार चालान एवं अन्य संगत कागजातों एवं सहायक निदेशक(पौ० सं०), सर्वेलेन्स मुख्यालय, पटना से प्राप्त स्थल जाँच प्रतिवेदन के आलोक में कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के तहत मेसर्स एरिस्टो बायोटेक एण्ड लाइफ साइन्स प्रा०लि० बड़ौदा द्वारा निर्मित निम्नलिखित कीटनाशियों से संबंधित बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या 38-39 दिनांक 23.02.2012 का नवीकरण 31.12.2016 तक के लिए किया जाता है।

क्र०	कीटनाशी का नाम	क्र०	कीटनाशी का नाम
1	Butachlor 5% Granules	6	Glyphosate 41% SL
2	Alachlor 50% EC	7	Ammonium Salt of Glyphosate 71% SG
3	Hexaconazole 5% EC	8	Carbendazim 12% + Mancozeb 63% WP
4	Butachlor 50% EW	9	Butachlor 50% EC
5	Imidacloprid 17.8% SL	10	Sulphur 80% WDG

2-उपरोक्त कीटनाशी का भंडारण प्रतिष्ठान द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, में विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा:-मेसर्स साइनोकेम इंडिया कम्पनी प्रा० लि०, H/O- श्री लालजी यादव, H/O- श्री आलोक बोहरा, बड़ी पहाड़ी अगमकुआँ, पटना।

3- यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4- अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5- भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6- अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना एवं संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7- नियम 10 बी० के तहत सल्फर के लिए अलग बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करनी होगी।

8- अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिमाता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेन्ट/बिक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

9- कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या 38-39 दिनांक 23.02.2012 मूल रूप में संलग्न है। कृपया प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

ह० / -

(धर्मेन्द्र सिंह)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2255

/क०, पटना, दिनांक .../16... मई, 2015

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान), बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


कृषि निदेशक, बिहार,
पटना।